

बिहार गजट

असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 श्रावण 1940 (श0)

(सं0 पटना 715) पटना, वृहस्पतिवार, 26 जुलाई 2018

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

26 जुलाई 2018

अधिसूचना संख्या 15/2018-राज्य कर (दर)

एस०ओ० २१३, दिनांक २६ जुलाई २०१८—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का १२) की धारा ९ की उपधारा (३) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एत्द द्वारा, वाणिज्य—कर विभाग की अधिसूचना संख्या १३/२०१७—राज्य कर (दर), दिनांक २९ जून, २०१७, बिहार गजट असाधारण अंक में संख्या—556, दिनांक २९ जून, २०१७ द्वारा प्रकाशित, में आगे और भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा :—

उक्त अधिसूचना में, -

(i) सारणी में, क्रम संख्या 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

		·	
(1)	(2)	(3)	(4)
"11	बॉडी कार्पोरेट, पार्टनरशिप या लिमिटिड	बॉडी कार्पीरेट, पार्टनरशिप	ऐसी बैंकिंग कंपनी या
	लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म से भिन्न वैयक्तिक	या लिमिटिड लायबिलिटी	नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल
	डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स द्वारा बैंकों/नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कं. (एनबीएफसी) को दी जाने वाली	पार्टनरशिप फर्म से भिन्न	कंपनी जो कि कर वाले
	सेवाएं।	वैयक्तिक डायरेक्ट सेलिंग	भू-क्षेत्र में अवस्थित हो
		एजेंट्स	I";

- (ii) स्पष्टीकरण में, उप वाक्य (च) के पश्चात निम्नलिखित उप वाक्य को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा'(छ) "अचल संपित को किराए पर देने" से अभिप्राय किसी अचल संपित को पूर्णतया या अंशतया
 उसमें प्रवेश करने, अपने कब्जे में रखने, प्रयोग करने या इसी प्रकार की सुविधा के लिए अनुमित
 देने, इजाजत देने, वहां तक पहुंचने की अनुमित देने से है, चाहे ऐसा उक्त अचल संपित के कब्जे के
 अंतरण या उसके नियंत्रण के साथ या उसके बिना हो और जिसमें किराए पर देना, पट्टे पर देना,
 लाइसेंस देना या इसी प्रकार की अन्य व्यवस्था करना, जो कि उक्त अचल संपित से संबंधित हो, भी
 आता है।
- 2. यह अधिसूचना दिनांक 27 जुलाई, 2018 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[(सं०सं० ब्रिकी—कर / जी०एस०टी० / विविध—21 / 2017 (खंड—2)—15)] बिहार—राज्यपाल के आदेश से, डॉ प्रतिमा,

वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–सचिव।

26 जुलाई 2018

एस०ओ० 213, दिनांक 26 जुलाई 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं० ब्रिकी—कर / जी०एस०टी० / विविध—21 / 2017 (खंड—2)—15)] बिहार—राज्यपाल के आदेश से, डॉ प्रतिमा, वाणिज्य—कर आयुक्त—सह—सचिव।

The 26^{th} July 2018

Notification No. 15/2018-State Tax (Rate)

S.O. 213, dated the 26th July 2018— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9, of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the Commercial Taxes Department notification No.13/2017- State Tax (Rate), dated the 29thJune, 2017, published in Bihar Gazette, Extraordinary, *vide* number 556, dated the 29thJune, 2017, namely:-

In the said notification, -

(i) in the Table, after serial number 10 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(2)	(3)	(4)	
(2)	(3)	(4)	
Services supplied by	Individual Direct Selling	A banking company or a	
individual Direct Selling	Agents (DSAs) other	non-banking financial	
Agents (DSAs) other	than a body corporate,	company, located in the	
than a body corporate,	partnership or limited	taxable territory.";	
partnership or limited	liability partnership firm		
liability partnership firm			
to bank or non-banking			
financial company			
(NBFCs)			
	individual Direct Selling Agents (DSAs) other than a body corporate, partnership or limited liability partnership firm to bank or non-banking financial company	Services supplied by Individual Direct Selling individual Direct Selling Agents (DSAs) other than a body corporate, than a body corporate, partnership or limited liability partnership firm to bank or non-banking financial company	

(ii) in the Explanation, after clause (f), the following clause shall be inserted, namely: -

- '(g) "renting of immovable property" means allowing, permitting or granting access, entry, occupation, use or any such facility, wholly or partly, in an immovable property, with or without the transfer of possession or control of the said immovable property and includes letting, leasing, licensing or other similar arrangements in respect of immovable property.'.
- 2. This Notification shall come into force with effect from 27th July, 2018.

 [(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-2)—15)]

 By the order of Governor of Bihar,

 Dr. Pratima,,

 Commissioner-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 715-571+10-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in